न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 78 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 16.12.2020

1–दयाराम पुत्र प्रभूलाल जाट निवासी बालापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2–गिर्राज पुत्र लालू जाट निवासी बालापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3–दिनेश कुमार पुत्र हीरालाल जाट निवासी मुचकन्दपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4–मुकेश पुत्र रामस्वरूप बैरवा निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5–अनीस भारती पुत्र शाहनूर खां मुसलमान निवासी नगरफोर्ट (पूर्व सरपंच नगरफोर्ट) तहसील दूनी जिला टोक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–सत्यपाल पुत्र यादराम गुर्जर निवासी जटियाना तहसील कोटसासिम जिला अलवर
2–विजयपाल पुत्र यादराम गुर्जर निवासी जटियाना तहसील कोटसासिम जिला अलवर
3–कोशेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह जाति राजपूत निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी बनीपार्क जयपुर
4–हेमेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह जाति राजपूत निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी बनीपार्क जयपुर
5–मीरा देवी पत्नि सुरेश सिंह जाति राजपूत निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी बनीपार्क जयपुर
6–तहसीलदार दूनी
7–ए.एस.ओ.टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 01.09.1989 वाके ग्राम नगरफोर्ट ए.एस.ओ. टोंक

उपस्थिति –(1) श्री प्यूर्ष जैन, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री विक्रम जैन व रोमेन्द्र गुर्जर,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5

निर्णय **दिनांक 26.03.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 01.09.1989 को नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 01.09.1989 वाके ग्राम नगरफोर्ट के खसरा नम्बर 2450 मे से रकबा 0.70 हे. व 2441 मे से रकबा 6.82 हे. कुल किता–2 रकबा 7.52 है.सुरेश सिंह पुत्र रामसिंह कोम राजपूत साकिन देह के नाम व खसरा नम्बर 2450 मे से रकबा 0.82 हे. व 2442 मे से रकबा 1.68 हे. कुल किता–2

जिला कलेक्टर
टोंक

रकबा 2.50 हे. विनोद सिंह पुत्र रामसिह कोम राजपूत साकिन देह के नाम तहसील देवली हाल नगरफोर्ट कि सरकारी सिवायचक भूमि मे खातेदार के रूप मे अंकित करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है,जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 1.09.1989 पृथम दृष्टया ही विधि–विधान तथा वास्तविक तथ्यो के विपरीत होने से चलने योग्य नही है, उक्त नामान्तरकरण जरिये पत्रावली संख्या 60/1989 निर्णय दिनांक 29.08.1989 ए.एस. ओ. तथा उसके आधार पर भरा गया नामान्तरकरण गैर कानूनी है। सेटलमेन्ट ने सिवायचक भूमि की खातेदारी सुरेश सिंह व विनोद सिंह के नाम अकिंत करने का निर्णय दिया है,जबकि सेटलमेन्ट को किसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड मे परिवर्तन/छेड़–छाड करने या सिवायचक भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है,उन्होने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग करके प्रभावशाली व्यक्तियो के दबाव में आकर हाल खसरा नम्बर 2450 रकबा 1.52 हे0 मे से 0.82 हे0, खसरा नम्बर 2442 रकबा 1.68 हे0 कुल 2.50 हे0 भूमि ग्राम नगर तहसील हाल दूनी की खातेदारी विनोद सिंह पुत्र राम सिंह तथा हाल खसरा नम्बर 2450 रकबा 0.70 हे०, खसरा नम्बर 2441 मे से रकबा 6.82 हे०, कुल 7.52 हे0 ग्राम नगर की खातेदारी सुरेश सिंह पुत्र राम सिंह के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित कर उसकी पालना मे दिनाक 1.09.1989 को नामान्तरकरण सख्या 96 स्वीकार किया है जो गलत है। वादग्रस्त भूमि कभी भी काबिल काश्त भूमि नही रही तथा इस पर कभी भी कृषि पैदावार उत्पन्न नहीं हुई, तथाकथित सुरेश सिह व विनोद सिंह या जगदीश सिंह का कभी भी कब्जा या काश्त नहीं रहा, यह सम्पूर्ण भूमि चरागाह के रूप में काम मे आती रही है तथा मौके पर वर्षो से नगरफोर्ट का चरागाह/क्लोजर बना हुआ है जिसमे नगर फोर्ट, ग्राम बोसरिया/बालापुरा, रामसागर, मुचकन्दपुरा, जालिमगंज, व कई ग्वालो के जानवर चारा चरने आते है और यह भूमि जानवरो के चरने व चारा उगाने व जानवरो के चरने के काम में आती रही है, यह सार्वजनिक रूप से गांव वालो के उपयोग उपभोग की सार्वजनिक भूमि है जिसका उपयोग ग्रामवासी सार्वजनिक रूप से करते चले आ रहे है, इस भूमि मे किसानो के देवता/ग्वाला–भैंरु का स्थान है, गांव वालो ने कभी भी अन्य व्यक्तियो का जिसमे सुरेश सिंह, विनोद सिंह, जगदीश सिंह, या अन्य का आज तक भी कब्जा नहीं होने दिया है। आज भी भूमि चरागाह के रूप में काम आ रही है इस कारण तथाकथित निर्णय व उसके आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सख्या 96 दिनाक 1.09.1989 प्रथम दृष्टयाही/प्रारम्भतः ही अवैध/शून्य है तथा उनकी कोई मान्यता किसी प्रकार की नही है। उक्त चरागाह व सिवायचक भूमि को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बिना किसी अधिकार के जानवरो को चरने तथा सार्वजनिक उपयोगिता को नष्ट कर कब्जा खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। तथाकथित निर्णय का उल्लेख भू–प्रबन्ध खसरा मे अकिंत किया है जो कि किसी भी प्रकार से रिकार्ड ऑफ राईट्स की श्रेणी मे नही है तथा उसकी पालना मे जमाबन्दी मे अवेध रूप से उनकी खातेदारी का अकंन किया गया है जो कि नुमाईशी अकंन है। सुरेश सिंह का देहान्त होने पर गलत रूप से उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 871 दिनांक 05.10.2010 स्वीकार किया गया है,जो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता. 5 है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता. 5 ने रेस्पोडेन्ट

जिला कलेक्टर

संख्या 1 व 2 को दिनांक11.02.2013 को नुमाईशी विक्रय पत्र तहरीर करवाकर पंजीयन करवा दिया गया,जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनाक 8.04.2013 से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम उक्त भूमि खातेदारी मे आई है। ऐसे विक्रय पत्र व नामान्तरकरण तस्दीक होकर जमाबन्दी मे अकंन होने मात्र से ऐसे लोगो को कानूनी रूप से कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। सम्वत 2051–2054, सम्वत 2055 से 2058, सम्वत 2059 से 2062 सम्वत 2063–2066, सम्वत 2045–2046, सम्वत 2070 से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि पर कोई काश्त नही हुई है,बल्कि खसरा गिरदावरी मे स्पष्ट रूप से रबी व खरीफ मे रिक्त तथा बंजड भूमि होना दिखाया हुआ है,जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित लोगो का आज तक उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है। गाँव वालो ने रेस्पोडेण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नही होने दिया है, क्योकि मोके पर भूमि सिवायचक व चरागाह है।सेटलमेन्ट वालो से मिलकर उक्त व्यक्तियों ने अपने राजनैतिक प्रभाव तथा भारी मालदार व्यक्ति होने के कारण उनसे मिली भगत करके बिना किसी अधिकार के ए.एस. ओ. से मिलकर नाजायज तरीका अपनाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किया है।सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारी का कृत्य गैरकानूनी है,जो सार्वजनिक रूप से ग्वालो के हितो के विपरीत है। अतः नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 1.09.1989 वाके ग्राम नगरफोर्ट को निरस्त कर वाद ग्रस्त भूमि को चरागाह एंव सिवायचक अकिंत करने का आदेश सार्वजनिक हित मे पारित किया जाना न्यायसंगत है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 01.09.1989 को चैलेन्ज करने का अधिकार अपीलांट्स को नही है। ए.एस.ओ. द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया है और उसी आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और उससे पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता. 5 काबिज होकर काश्त करते थे। उक्त भूमि पर चारो तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने मिट्टी की डोल लगा रखी है।उक्त भूमि चरागाह भूमि नही है ओर ना ही उस पर कोई जानवर आदि चरते है। उक्त भूमि साजर्वनिक भूमि ना होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी एंव कब्जे, काश्त की भूमि है।रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता. 5 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है और उसके उपरांत विधि अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के हक मे नामान्तकरण भरकर तस्दीक किया गया है। अपीलांट्स भू–माफिया है और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी एंव कब्जे, काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है और इसी उद्देश्य से बिना किसी अधिकार के उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा पेश की गई है। अपीलांट्स का उपरोक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे तहसीलदार दूनी या तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा कोई रेफरेन्स की कार्यवाही भी नही की गई है और ना ही लेण्ड होल्डर द्वारा कोई अपील पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त अपील पेश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। उक्त भूमि का नामान्तकरण सुरेश सिंह की मृत्यु के उपरांत फौती के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता. 5 के हक मे भरा गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आज दिन तक किसी ने भी सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनौती नही दी है। अपीलांट्स गिरोहबंद व्यक्ति है और लोगो की जमीनो पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करते है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे रेस्पोडेण्ट संख्सा 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष पेश किया था, जिस पर मौका पर्चा बनाया गया था। अपीलांट संख्या 5 उपरोक्त अवधि मे ग्राम पंचायत नगर फोर्ट का सरपंच भी रहा है। यदि उक्त भूमि से अपीलांट्स या ग्राम वासियो या ग्राम पंचायत का कोई

जिला कलेक्टर

सम्बन्ध होता तो अपीलांट्स उक्त भूमि के सम्बन्ध मे नामान्तकरण की अपील पूर्व मे ही पेश कर चुका होता। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया है। उक्त भूमि के अन्य खातेदारान विनोद सिंह द्वारा भी उसकी खातेदारी एंव कब्जे, काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2450 रकबा 0.82 हेक्टेयर किस्म बजंड खसरा नम्बर 2660/2442 रकबा 1.68 हेक्टेयर किस्म बजंड कुल किता–2 कुल रकबा 2.50 हेक्टेयर वाके ग्राम नगर तहसील दूनी को अमन भडाना व तरुण गुर्जर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किया गया है। अतः अपील अपीलान्टस खारीज किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी टोंक ने पत्रावली संख्या 60/1989 उनवान जगदीश सिंह नरूका बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 29.08.1989 पारित किये जाने के उपरान्त उक्त निर्णय की पालना मे सहायक भू–प्रबंध अधिकारी टोंक द्वारा नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 01.09.1989 वाके ग्राम नगरफोर्ट के खसरा नम्बर 2450 मे से रकबा 0.70 हे. व 2441 मे से रकबा 6.82 हे. कुल किता–2 रकबा 7.52 है.सुरेश सिंह पुत्र रामसिंह कोम राजपूत साकिन देह के नाम व खसरा नम्बर 2450 मे से रकबा 0.82 हे. व 2442 मे से रकबा 1.68 हे. कुल किता–2 रकबा 2.50 हे. विनोद सिंह पुत्र रामसिह कोम राजपूत साकिन देह के नाम तहसील देवली हाल नगरफोर्ट कि सरकारी सिवायचक भूमि मे खातेदार के रूप मे अंकित करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेण्ट का आज तक उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है। मोके पर भूमि सिवायचक व चरागाह है,परन्तु पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी छायाप्रति सम्वत 2037–2039 के खाते संख्या 345 मे खसरा नम्बर 1157/1 रकबा 4 बीघा व 1169/2 रकबा 26 बीघा कुल किता–2 रकबा 30 बीघा भूमि सुरेश सिंह पुत्र रामसिंह कोम राजपूत साकिन देह के नाम खातेदारी मे दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल वाके ग्राम नगर तहसील देवली सम्वत 2046–2065 पृष्ठ 99 से जाहिर होता है खसरा नम्बर 1157 व 1169,1171 मिन के हाल खसरा नम्बर 2441 व 2450 बने है। जमाबंदी सम्वत 2067–2070 के खाते संख्या 541 मे खसरा नम्बर 2659/2441 रकबा 6.82 हे. किस्म बंजड व खसरा नम्बर 2661/2450 रकबा 0.70 हे. किस्म बंजड कुल किता–2 रकबा 7.52 हे.पर अंकित नोट नामान्तकरण 871 दिनांक 05.07.2010 से सुरेश सिंह के बजाय कोशेलेन्द्र सिंह,हेमेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह मीरा देवी धर्मपत्नि सुरेश सिंह साकिन देह हाल निवासी बनीपार्क जयपुर के नाम दर्ज की गई जो रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता. 5 है,इनके द्वारा उक्त भूमि विक्रय करने पर नामान्तकरण संख्या 1001 दिनांक 08.04.2013 से रेस्पो. संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है।

पत्रावली मे संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट की छायाप्रति दिनांक 02.07.2014 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र धारा 128 के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2014 की पालना मे दिनांक 02.07.2014 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नगरफोर्ट व पटवारी हल्का नगरफोर्ट तथा अति.ऑफिस कानूनगो नगरफोर्ट की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उपस्थित मौतबिरान व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की उपस्थिति मे उक्त भूमि की निशानदेही करवाकर मौके पर पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमि कि किस्म चरागाह ना होकर बंजड होना पत्रावली मे शामिल जमाबंदी सम्वत 2045 व 2067–2070 के खाता संख्या 541 के कॉलम संख्या 7 से सिद्व है।

जिला कलेक्टर

अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सेटलमेन्ट से सबंधित है। राज.लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 75 (क) मे (बन्दोबस्त या भूमि अभिलेख से संबंध नही रखने वाले मामलो मे तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की कलेक्टर को) का उल्लेख होने के कारण प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार क्षेत्र से बाहर है। नामान्तकरण की अपील ना कर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 29.08.1989 की अपील होनी चाहिये। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। भूमिधारी की हैसियत से संबंधित तहसीलदार अपील/रेफरेंस करने मे समक्ष है।

चूंकि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 29.08.1989 की पालना मे नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 01.09.1989 तस्दीक किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 01.09.1989 वाके ग्राम नगरफोर्ट तहसील देवली हाल नगरफोर्ट यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्य झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक